



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक संख्या- पी०आर०एस०यू०/सम्बद्धता/४०८१/२०२१

दिनांक-०१/१०/२०२१

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ सन् २०१४) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्दिष्ट अन्य विशिष्ट एवं सामान्य तथा अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मा० कुलपति महोदय के आदेश दिनांक २४.०८.२०२१ के अनुपालन में अंकित महाविद्यालय को मात्र एक वर्ष २०२१-२२ हेतु पाठ्यक्रम/विषय के संचालन के लिए सशर्त सम्बद्धता जैसा कि तालिका के स्तम्भ-३ में अंकित है, प्रदान की जाती है। इस पत्र में अंकित अनिवार्य शर्तों का सम्यक निष्ठापूर्वक अनुपालन करना भी महाविद्यालय का दायित्व होगा तथा अनिवार्य शर्तों में कोई छूट किसी भी महाविद्यालय को स्वीकृत नहीं की जायेगी।

क्र०सं०	महाविद्यालय का नाम/पता	आवेदित पाठ्यक्रम/विषय का नाम
१.	उर्मिला देवी डिग्री कालेज, रसा, बरौत, हण्डिया, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान विषय में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र २०२१-२२ हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या में संलग्न स्टाम्प की तिथि पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
२.	डॉ० महेन्द्र कुमार छोटे लाल बिन्द महाविद्यालय, उपरदहा, हण्डिया, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रम एवं कम्प्यूटर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र २०२१-२२ हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्राभूत राशि की एफ०डी०आर० जो कुलसचिव, प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पक्ष में बंधक हो, संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का अनुबन्ध पत्र विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
३.	ओम महाविद्यालय, सिकन्दरा, फूलपुर, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं संस्कृत विषयों में एम०ए० पाठ्यक्रम तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०कॉम० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र २०२१-२२ हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन होने का प्रमाण, संस्था/महाविद्यालय के बैंक खाते में मानकानुसार जमा धनराशि होने का अद्यतन प्रमाण एवं महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का अनुबन्ध पत्र का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
4.	कमलेश यादव गर्ल्स डिग्री कालेज, रहिमापुर, झूँसी, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत एवं गृहविज्ञान अतिरिक्त विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संस्कृत विषय हेतु सहायक आचार्य का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण एवं अनुबन्ध पत्र, महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का वेतन भुगतान बैंक के द्वारा होने के प्रमाण के रूप में बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित विगत 01 वर्ष का सैलरी स्टेटमेंट एवं महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित अभिलेख/प्रपत्र विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
5.	वी०बी०एस० विधि महाविद्यालय, बगई कला, बगई खुर्द, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा सत्र 2020-21 का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश की प्रमाणित छायाप्रति, महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग पक्का निर्मित होने का प्रमाण, अनुबन्ध पत्र पर संलग्न फोटो नोटरी द्वारा प्रमाणित नही होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/आख्या एवं ऑनलाइन अग्निशमन नवीनीकरण का अद्यतन प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
6.	राज नारायण पाण्डेय विधि महाविद्यालय, बेरुई, सहसों, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन होने का प्रमाण, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में निर्गत अद्यतन पत्र, शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुबन्ध प्रमाण पत्र, शिक्षण कक्षाओं के सुदृढ़, व्यवस्थित एवं पठन-पाठन हेतु अनुकूल होने का प्रमाण एवं अग्निशमन का ऑनलाइन नवीनीकरण होने का अद्यतन प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
7.	किशोरी लाल महादेयी विधि महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संस्था/महाविद्यालय के बैंक खाते में मानकानुसार जमा धनराशि अद्यतन होने का प्रमाण, आवेदित पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन परीक्षाफल, सामूहिक नकल में आरोपित नही होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण, शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुबन्ध प्रमाण पत्र तथा अग्निशमन ऑनलाइन नवीनीकरण होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
8.	श्याम कुमारी महाविद्यालय, आसेपुर, हण्डिया, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं हिन्दी विषयों में एम०ए० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन परीक्षाफल, सामूहिक नकल में आरोपित नही होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
9.	कमलेश यादव गर्ल्स डिग्री कालेज, रहिमापुर, झूँसी, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, प्रा०भा० इतिहास, राजनीतिशास्त्र विषयों में एम०ए० पाठ्यक्रम एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०कॉम० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं समस्त संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन होने का प्रमाण, विगत दो वर्ष का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षाफल का प्रमाण, सामूहिक नकल में आरोपित नही होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
10.	अयोध्या प्रसाद द्विवेदी लॉ कालेज, मोहरब, आनापुर, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा सामूहिक नकल में आरोपित नही होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		अद्यतन प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
11.	स्व० कृपा शंकर तिवारी महाविद्यालय, नहवाई, माण्डा रोड, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी०एससी० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण, महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन होने का प्रमाण, शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुबन्ध प्रमाण पत्र, वेतन भुगतान बैंक के द्वारा होने के प्रमाण के रूप में बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित विगत 01 वर्ष का सैलरी स्टेटमेंट, अग्निशमन का ऑनलाइन नवीनीकरण होने का प्रमाण तथा प्रमाण सहित महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग एवं चहारदिवारी निर्मित होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/आख्या विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
12.	ठा० राममूर्ति रामबहाल सिंह महाविद्यालय, रमगढ़ा, पूरेधनी, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं संगीत विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण, आवेदित पाठ्यक्रम हेतु विगत तीन वर्षों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने का प्रमाण तथा चहारदिवारी पूर्णतया व्यवस्थित एवं सुदृढ़ होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
13.	दुर्गा देवी हीरा लाल डिग्री कालेज, देल्हपुर, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, गृहविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुबन्ध प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण एवं महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
14.	कौशलेन्द्र महाविद्यालय, मनगढ़, कुण्डा, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा सी०ए० द्वारा प्रमाणित अद्यतन बैलेंस सीट एवं संचालित समस्त पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का वेतन भुगतान बैंक के द्वारा होने के प्रमाण के रूप में बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित विगत 01 वर्ष का सैलरी स्टेटमेंट विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
15.	बद्री नारायण सिंह महाविद्यालय, सकरौली, मादूपुर, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सैन्य विज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं अंग्रेजी अतिरिक्त विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
16.	बद्री नारायण सिंह महाविद्यालय, सकरौली, मादूपुर, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास एवं भूगोल विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा चहारदिवारी के सुदृढीकरण होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे। अन्यथा कि स्थिति में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
17.	पं० देव नारायण शुक्ल महाविद्यालय, जगतपुर आदिल, हुसेनगंज, फतेहपुर, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी०एससी० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुबन्ध प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षाफल का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		निर्गत किए जायेंगे।
18.	किरणलता सिंह महाविद्यालय, कौण्डर, असोथर, फतेहपुर, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी०एससी० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का प्रमाण, अग्निशमन नवीनीकरण अद्यतन होने का प्रमाण, एन०बी०सी० प्रमाण पत्र एवं आवेदित पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2019 तथा 2020 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश की प्रमाणित छायाप्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। एन०बी०सी० प्रमाण पत्र एवं अग्निशमन नवीनीकरण का प्रमाण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
19.	चौधरी नरेन्द्र प्रताप महाविद्यालय, रामपुर, बकेवर, फतेहपुर, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी०एससी० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल 60 प्रतिशत होने का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत होने का प्रमाण, एवं अग्निशमन नवीनीकरण अद्यतन होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। महाविद्यालय में अग्निशमन की व्यवस्था पूर्ण होने एवं उक्त का प्रमाण विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
20.	श्रीमती राजकुमारी शुक्ला विधि महाविद्यालय, टिकरी, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन प्राप्त होने का प्रमाण एवं अग्निशमन नवीनीकरण अद्यतन होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		जायेगा। महाविद्यालय में अग्निशमन की व्यवस्था पूर्ण होने एवं उक्त का प्रमाण विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
21.	हनुमन्त महाविद्यालय, लाहुरपुर, हनुमानगंज, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, संस्कृत, प्रा०भा० इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी साहित्य विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुबन्ध पत्र, सी०ए० द्वारा प्रमाणित अद्यतन बैलेंस सीट, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण एवं अग्निशमन नवीनीकरण ऑनलाइन होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
22.	किरन सिंह महाविद्यालय, शहजाद नगर, गाजीपुर, फतेहपुर, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय बी०ए० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृत एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा आवेदित पाठ्यक्रम/विषयों हेतु शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
23.	श्रीमती महाराना बाबूलाल शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मौर्यनगर, मउदारा करेटी, कुण्डा, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों हेतु विगत तीन वर्षों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षाफल, अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों तथा प्राचार्य का अनुबन्ध प्रमाण पत्र, सी०ए० द्वारा प्रमाणित विगत तीन वर्षों का बैलेंस सीट, वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित विगत 01 वर्ष का सैलरी स्टेटमेंट एवं निर्मित शिक्षण कक्षाओं में मानकानुसार अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होने से सम्बन्धित प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। शिक्षण कक्षाओं में मानकानुसार अवस्थापना



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		सुविधाओं के उपलब्ध होने के सम्बन्ध में सत्यापन के पश्चात् कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
24.	राम शिरोमणि गीता शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, इटौरी, सगरा, सुन्दरपुर, लालगंज, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल, सामूहिक नकल में आरोपित नही होने का प्रमाण, मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा होने का प्रमाण, वेतन भुगतान बैंक के द्वारा होने के प्रमाण के रूप में बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित विगत 01 वर्ष का सैलरी स्टेटमेंट, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन होने का प्रमाण, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एन०बी०सी० प्रमाण पत्र एवं सम्पर्क मार्ग से सम्बन्धित अभिलेख/प्रपत्र विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। शिक्षण कक्षों में मानकानुसार अवस्थापना सुविधाओं के उपलब्ध होने के सम्बन्ध में सत्यापन के पश्चात् कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
25.	बाबू फतेहबहादुर सिंह डिग्री कालेज चिलबिला, नहवाई प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०एस०सी० पाठ्यक्रम के गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों हेतु अद्यतन आडिट रिपोर्ट, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल, अनुमोदित शिक्षकों का अनुबन्ध पत्र एवं सम्पर्क मार्ग पक्का होने के संबंध में अभिलेख/प्रपत्र विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
26.	आर०डी० सिंह विधि महाविद्यालय	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति के मान्यता आदेश, शिक्षकों का अनुबन्ध पत्र, महाविद्यालय के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्थित होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		जाने पर तथा तदानुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
27.	हनुमन्त महाविद्यालय, लाहुरपुर हनुमानगंज प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, संस्कृत, प्रा०भा० इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी साहित्य, विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों को अनुबन्ध पत्र, सोसाइटी एवं महाविद्यालय की अद्यतन बैलेंसशीट, महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के मान्यता का आदेश एवं अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र की प्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदानुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
28.	स्व० महावीर सिंह महाविद्यालय, मुंगारी करछना, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों को अनुबन्ध पत्र, अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र, सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदानुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
29.	जगन्नाथ प्रसाद स्मारक महाविद्यालय, गौहनिया, धूरपुर प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम०, विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर एप्लीकेशन अतिरिक्त विषय एवं कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान व भूगोल अतिरिक्त विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों का अनुबन्ध पत्र व वेतन का बैंक स्टेटमेंट तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदानुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
30.	राम दुलारी बच्चूलाल जायसवाल महाविद्यालय, नवाबगंज, अटरामपुर, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्रा०भा० इतिहास एवं राजनीति शास्त्र तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों का अनुबन्ध पत्र व विगत एक वर्ष वेतन का बैंक स्टेटमेंट विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
31.	माँ वैष्णवी महाविद्यालय, जगदीशपुर, उर्फ पूरे चन्दा, थरवाई, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत एम०ए० पाठ्यक्रम में हिन्दी, राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल, सामूहिक नकल आरोपित न होने का प्रमाण पत्र, प्राभूत धनराशि कुल सचिव के पक्ष में बन्धक होने का प्रमाण पत्र, प्रबन्ध समिति के मान्यता का प्रमाण पत्र तथा संबंधित पाठ्यक्रम/विषयों के स्नातक स्तर के सम्बद्धता आदेश की प्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
32.	श्रीमती नीतू देवी बिन्द महाविद्यालय, भगौतीपुर, धोबहा, हण्डिया, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाज शास्त्र, प्रा०भा० इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की चाहारदीवारी प्लास्टर व पेन्ट कराया जाना, ऊपरी तल पर रेलिंग लगवाया जाना, फर्श की फिनीशिंग कराया जाना अपेक्षित है। महाविद्यालय द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम/विषयों का विगत वर्ष 2020-21 का सम्बद्धता आदेश की प्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
33.	जंग बहादुर सिंह पटेल डिग्री कालेज, जलालपुर कस्बा, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा चहारदीवारी पूर्णतया निर्मित होने का प्रमाण, संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों हेतु अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्य का वेतन भुगतान बैंक के द्वारा होने के प्रमाण के रूप में बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित विगत 01 वर्ष का सैलरी स्टेटमेंट, संस्था/महाविद्यालय के बैंक खाते में मानकानुसार जमा धनराशि अद्यतन होने का प्रमाण एवं अग्निशमन का प्रमाण ऑनलाइन नवीनीकरण अद्यतन होने का प्रमाण विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

		जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
34.	किशोरीलाल डिग्री कालेज, नैनी, प्रयागराज, उ०प्र०।	महाविद्यालय को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०एससी० पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान एवं गणित तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम/विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के बैंक खाते में मानकानुसार धनराशि होने का बैंक स्टेटमेंट जो बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित हो तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अद्यतन विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल की प्रमाणित प्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
35.	डा० राममूर्ति राम बहाल सिंह, महाविद्यालय, रमगढ़ा, पूरेधनी, प्रतापगढ़ उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र एवं संगीत विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय की चाहारदीवारी प्लास्टर व पेन्ट कराया जाना अपेक्षित है। महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति के मान्यता की प्रति, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल व सामूहिक नकल आरोपित न होने का प्रमाणपत्र की प्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।
36.	राम शिरोमणि गीता शिक्षक प्रशिक्षण एवं संस्थान, इटौरी सगरा, सुन्दरपुर लालगंज, प्रतापगढ़, उ०प्र०।	महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, गृहविज्ञान विषयों में मात्र एक वर्ष अर्थात् शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल व सामूहिक नकल आरोपित न होने का प्रमाणपत्र की प्रति, समस्त शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं नियुक्ति पत्र की प्रति, राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड-2005 प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत हो, की प्रति, महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के मान्यता की प्रति, प्राचार्य एवं शिक्षकों के वेतन का बैंक स्टेटमेंट की प्रति जो बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित हो की प्रति तथा महाविद्यालय के संपर्क मांग के संबंध में समुचित साक्ष्य/अभिलेख की प्रति विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कमियों के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर तथा तदनुसार सत्यापन के बाद नियमित सम्बद्धता आदेश निर्गत किए जायेंगे।



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार सीटें निर्धारित हैं (मानकानुसार अनुमन्य सीटों से अधिक प्रवेश कदापि नहीं किए जायें)

क्र०सं०	पाठ्यक्रम/विषय का नाम	प्रदत्त सीट
1	बी०ए०	420 सीट (60 सीट x 07 विषय)
2	बी०एससी०	240 सीट (60 सीट x 04 सेक्सन)
3	बी०कॉम०	120 सीट (60 सीट x 02 सेक्सन)
4	बी०बी०ए०	120 सीट (60 सीट x 02 सेक्सन)
5	बी०सी०ए०	120 सीट (60 सीट x 02 सेक्सन)
6	बी०एससी० कृषि	240 सीट (60 सीट x 04 सेक्सन)
7	बी०लिब्०	60 सीट (60 सीट x 01 सेक्सन)
8	स्नातकोत्तर स्तर के प्रायोगिक विषयों में 30 सीट एवं अन्य विषयों में 60 सीट	
9	स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सीटें ही मान्य होंगी। उनमें किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी महाविद्यालय द्वारा नहीं की जायेगी।	

अनिवार्य शर्तें :

- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या— 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2021 तथा विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक: 13.08.2021 के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली अद्यतन सूचना के अधीन है।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता तथा निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की उपलब्धता की जांच कराये जाने पर यदि महाविद्यालय में मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता नहीं पायी जायेगी तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि प्रवेशित विद्यार्थियों की फीस के साथ विद्यार्थियों को उपलब्ध प्रवेश/सीटों की रिक्तियों के अनुसार अन्य महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दे और विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसा आदेश सम्बन्धित सभी महाविद्यालयों तथा अन्य सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- संस्था की सम्बद्धता अवधि का पुनरीक्षण करने अथवा उसे समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कार्य परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
- विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद महाविद्यालय की सम्बद्धता का प्रत्याहरण कर सकती है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर सकती है। ऐसी निरीक्षण का शुल्क महाविद्यालय को देना होगा तथा अपनी संस्था को आकस्मिक निरीक्षण के लिए सदैव खुला रखना होगा तथा निरीक्षक/निरीक्षक मण्डल द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था सदैव अपने यहाँ राज्य सरकार/यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय तथा अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित रखेगी। शिक्षकों की अनुपलब्धता पाए जाने पर यह मानते हुए कि संस्था में विधिसम्मत तरीके से पठन-पाठन नहीं हुआ है, विश्वविद्यालय संस्था के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं करायेगा।
- अल्पसंख्यक संस्थाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति, अध्ययन नीति, पाठ्यचर्या तथा संस्था के उत्तम प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों तथा निर्गत मानकों का अनुपालन करेगी। महाविद्यालयों के



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

Mismanagement तथा maladministration की दशा में विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जांच करा सकेगा तथा जांच आख्या पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का निर्णय अल्पसंख्यक संस्था पर बाध्यकारी होगा।

7. महाविद्यालय अपने यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा नई शिक्षा नीति का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे।
8. सभी महाविद्यालय अपने यहाँ लैंगिक भेदभाव निवारण समिति का गठन यू०जी०सी० के प्राविधानों के अनुसार कर उसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
9. सभी महाविद्यालय अपनी **Website** का निर्माण कर उस पर महाविद्यालय की भूमि, उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, शिक्षकों के अनुमोदन पत्र व उनके नाम, स्थायी तथा स्थानीय पता सहित, विद्यार्थियों की कक्षावार सूची, महाविद्यालय के परीक्षा परिणाम आदि सभी का विवरण इस पत्र के निर्गमन की तिथि से **01 माह में Website पर Upload करना** सुनिश्चित करेंगे।
10. महाविद्यालय में यू०जी०सी०/विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार निर्धारित शैक्षिक दिवसों की पढ़ाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करनी होगी, इसके लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्लासेज लगाकर उक्त की पूर्ति करना अनिवार्य है।
11. महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन शिक्षकों को देना होगा।
12. सम्बद्धता शर्तों के उल्लंघन पर सम्बद्धता प्रत्याहरण किया जायेगा।

Ashulee

(एस० के० शुक्ल)

कुल सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य।
4. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. कुलसचिव कार्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०।
7. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।

Ashulee

कुल सचिव।